

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक-30.8.2018


संख्या-12/प0 (का0दंडा0)-1701/18 सा0प्र0...11661.../पर्यवेक्षकीय सेवा के निम्नांकित प्रतिनियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारियों को स्तम्भ-4 में अंकित वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित अनुमंडल में कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्रम सं0	पदाधिकारी का नाम, आई0डी0सं0 एवं गृह जिला	पैतृक विभाग	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन का पद एवं अनुमंडल का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री अरविन्द कुमार, RDD/000457, नालंदा।	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।	कार्यपालक दंडाधिकारी, बेगूसराय सदर।	कार्यपालक दंडाधिकारी, पटना सदर।
2	श्री चन्द्रशेखर ठाकुर, RDD/001428, दरभंगा।	ग्रामीण विकास विभाग।	कार्यपालक दंडाधिकारी, रोसड़ा, समस्तीपुर।	कार्यपालक दंडाधिकारी, पटनासिटी।

2. उपरोक्त सभी पदाधिकारियों को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं। साथ ही उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

3. स्थानान्तरित/पदस्थापित पदाधिकारी अविलम्ब नवपदस्थापन स्थान पर योगदान देंगे।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


30/8/18
(विमलेश कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-12/प0 (का0 दंडा0)-1701/18 सा0प्र0...11661.../पटना-15, दिनांक-30.8.2018.

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


30/8/18
सरकार के अपर सचिव।